महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

# पहल

मासिक – पेतालीसवां संस्करण (माह जुलाई, 2019)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक
3. विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश
4. बदलाव की पहचान बने – ग्रामीण क्षेत्र के चैम्पियन
5. ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन
6. जलवायु के प्रति जागृत होती ग्राम पंचायतें

**प्रकाशन समिति**

**संरक्षक एवं सलाहकार**
श्रीमती गौरी सिंह (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

**प्रधान संपादक**
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

**सह संपादक**
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
**Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870**

**Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR**

# अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का चौवालीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2019 का तृतीय मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में माननीय मंत्री, श्री कमलेश्वर पटैल जी के सानिध्य में आयोजित **''विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक''** को समाचार आलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही **''बदलाव की पहचान बने – ग्रामीण क्षेत्र के चैम्पियन''** आलेख के माध्यम से श्री शिवप्रसाद पटेल, सरपंच, ग्राम पंचायत पडुवा, जनपद पंचायत जबलपुर, जिला जबलपुर की मेहनत, लगन, व्यवहार की वजह से ग्राम पंचायत में आये बदलाव की कहानी है, वही **''ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन''** क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में प्रदेश के पंचायतराज संस्थानों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मूलभूत एवं क्षमतावर्धन प्रशिक्षण के पूर्व 01 दिवसीय टी.एन.ए. कार्यशाला पर आधारित सफलता की कहानी है एवं **''जलवायु के प्रति जागृत होती ग्राम पंचायतें''** पर आलेख को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

इसके अलावा अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 20 जून 2019 में दिये गये निर्देशों को प्रस्तुत किया गया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

**शुभकामनाओं सहित।**

**संजय कुमार सराफ**
**संचालक**

# माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक

माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा मंत्रालय में दिनांक 1 जून, 2019 को विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ग्रामीण अंचल के कार्यो में गति लाने के लिये सरपंचों को 15 लाख तक लागत के कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति तथा 30 लाख तक लागत के कार्य पंचायत क्षेत्र में कराने के अधिकार दिये गये हैं।

साथ ही उन्होंने कहा है कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को समय–सीमा में प्राप्त होना चाहिए एवं ग्रामीण अंचलों में सभी कार्य स्थानीय लोगों की निगरानी में कराये जावें। साथ ही सभी गांवो को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के कार्य को प्राथमिकता दी जाये।

इसके साथ–साथ आजीविका मिशन में स्व–सहायता समूहों को और अधिक सशक्त बनाने पर बल दिया एवं समस्त विभागीय योजनाओं के कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रीमती गौरी सिंह सहित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।

**जय कुमार श्रीवास्तव**
**कम्प्यूटर प्रोग्रामर**

# विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 20.06.2019 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

## 1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना –

### 1. नदी पुनर्जीवनः–

1.1.1 अपर मुख्य सचिव महोदया ने अवगत कराया कि पानी की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार द्वारा जल संरक्षण के कार्यो को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

1.1.2 नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए Intensive Mode में कार्यो को चयनित कर डीपीआर तैयार करना है। डीपीआर में प्र्याप्त कार्यो को चयनित कर शामिल किया गया या नहीं, इसका निर्धारण तभी होगा जब डीपीआर में शामिल संरचनाओं में रोके जा सकने वाले रनऑफ की मात्रा कैचमेंट से प्राप्त होने वाले सरप्लस रनऑफ की मात्रा के बराबर हो। अतः इस सिद्धांत के अनुरूप ही सतही जल संग्रहण और भू–जल संवर्धन कार्यो को चयनित कर डीपीआर तैयार करना है।

1.1.3 कार्यक्रम प्रारंभ हुए लगभग तीन माह हो चुके हैं। अतः अद्यतन समय तक मोटे तौर पर लगभग रूपये 50,000 हैक्टेयर के मान से सम्पूर्ण कैचमेंट क्षेत्र हेतु समतुल्य लागत के कार्यो का चयन हो जाना था। इस आधार पर केवल शिवपुरी एवं आगरमालवा में 70 प्रतिशत से अधिक लागत के कार्यो का चयन हो चुका है परंतु अधिकांश जिलों में 40 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक के ही कार्य चयनित हैं। कार्यो के चयन के संदर्भ में न्यूनत्तम प्रगति वाले जिलों नामतः छिंदवाड़ा, सिंगरौली, अनुपपुर, गुना, रीवा, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, शहडोल, सागर, झाबुआ एवं कटनी को प्रगति लाने हेतु बताया गया है।

1.1.4 छिंदवाड़ा जिले के संदर्भ में डीपीआर तैयार करने में रिमोट सैसिंग एप्लीकेशन के सहयोग से तैयार किए गए नक्शों और सुझावात्मक एक्शन प्लान का उपयोग (विशेषकर भू–जल संवर्धन कार्यो हेतु) करने के संबंध में अवगत कराया गया।

1.1.5 यह भी निर्देशित किया गया कि उन समस्त कार्यो को ही डीपीआर में शामिल करें जो वर्तमान में मनरेगा के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार के कार्यो के लिए पृथक से वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकेंगे। सामुदायिक/शासकीय भूमि के साथ–साथ निजी भूमि पर भी लिए जा सकने वाले जल संरक्षण कार्यो जैसे खेत तालाब एवं मेढ़ बंधान को डीपीआर में शामिल किया जाए।

1.1.6 चयनित कार्यो के विरूद्ध स्वीकृत कार्यो की समीक्षा में पाया गया कि जिले खरगोन, खण्डवा, बड़वानी को छोड़कर अन्य जिलों में पर्याप्त स्वीकृतियां जारी नहीं हुई हैं। अतः निर्देशित किया गया कि सभी जिलें नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम की डीपीआर में शामिल हो रहे कार्यो को प्रारंभ करायें। कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री कियान्वित हो रहे कार्यो की फिल्ड में जाकर मॉनिट्रिंग करें ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

1.1.7 नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम की गूगल शीट नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए ताकि आगामी समय में आहूत होने वाली वीडियों कान्फ्रेंसिंग में जिलों की अद्यतन स्थिति के आधार पर समीक्षा की जा सके।

### 2. गौशाला की प्रगति :–

2.1.1 प्रदेश के समस्त जिलों द्वारा 962 स्थलों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 918

स्थल जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित किये जाना गूगल शीट में प्रतिवेदित किया है। कितने गौशाला निर्माण कार्य प्रारंभ हो गए हैं, Google Sheet में अद्यतन करें।

2.1.2 चयनित गौशाला स्थल पर बिजली एवं पानी की उपलब्धता की जानकारी सभी जिलों द्वारा विभाग के पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश दिये गये।

2.1.3 अधिकांश जिलों द्वारा चारागाह के स्थलों पर बिजली की व्यवस्था न होने के संबंध में जानकारी दी गई। जिला सीईओस को पुनः इन स्थलों का परीक्षण कर यथासंभव बिजली कनेक्शन उपलब्ध साईट पर ही चारागाह चिन्हांकन करने अथवा जहॉ कनेक्शन हेतु कम राशि की जरूरत है, जहां ऐसी स्थिति में जहॉ विद्युत कनेक्शन हेतु अधिक राशि की जरूरत है वहॉ उर्जा विकास निगम से अभिसरण कर सोलर पंप की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये। जिन स्थलों पर पानी एवं बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकती है, उन्हें चयनित नहीं किया जाए।

## 3. बांस जंगल संवर्धन योजना :–

3.1.1 प्रदेश के स्वसहायता समूह की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए एवं मध्यप्रदेश के बांस के जंगल का संवर्धन करने की दृष्टि से प्रदेश के 14 जिलों (सीधी, सिंगरौली, शहडोल, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, मुरैना, श्योपुरकलां) में 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण एवं बांस के भिर्रा के उपचार का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अभिसरण से लिया जा रहा है।

3.1.2 बांस के नवीन वृक्षारोपण, बांस की प्रजातियां, उपयुक्त भूमि सिंचाई, रख–रखाव आदि के संबंध में अपर मुख्य सचिव, वन विभाग एवं प्रबंध संचालक, बेम्बो मिशन के द्वारा जिला स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों एवं वन विभाग के अधिकारियों के बीच में समन्वय के साथ योजना के स्वरूप की जानकारी दी गयी।

## 4. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीणः–

4.1 विगत वर्षो की प्रगति (2016–17 से 2018–19 तक) धीमी हो गयी है। सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सुनिश्चित करें कि विगत वर्षो के आवास शतप्रतिशत पूर्ण हो जाएं। वर्ष 2018–19 में समस्त हितग्राहियों को आगामी किश्त प्रदाय करते हुये आवास पूर्ण करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रणनीति तैयार कर प्रत्येक मैदानी अधिकारी/कर्मचारी को अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य लिखित में प्रदाय करें। अधिकारियों में कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री/उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, एडीईओ, पीसीओ को लिखित में अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के निर्देश प्रदाय किये जाएं।

4.2 वर्ष 2018–19 (अतिरिक्त) तथा 2019–20 की के नवीन लक्ष्य आवास साफ्ट पर दर्ज कर दिये गए हैं। सभी जिले यह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी वीसी के पूर्व शतप्रतिशत स्वीकृतियां जारी कर प्रथम किश्त जारी कर दी जाए।

4.3 राजमिस्त्री प्रशिक्षण में सभी कार्यपालन यंत्री तथा नोडल ऑफीसर यह सुनिश्चित करें कि आगामी वीसी के पूर्व सभी जगह प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएं।

## 5. स्वच्छ भारत मिशनः–

5.1 एलओबी शौचालय निर्माण में अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले जिलों बड़वानी, हरदा, सतना, अनूपपुर एवं मुरैना में शौचालय निर्माण की समीक्षा की जाकर ऐसे समस्त जिलों जिनमें

प्रथम चरण में दर्ज एलओबी के शौचालय निर्माण का कार्य शेष हैं, को जून माह के अंत तक शतप्रतिशत कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए जाए।

5.2 शौचालय सत्यापन की प्रगति का संभागवार प्रस्तुतिकरण किया गया जिसमें अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गएः–

1. जिन जिलों में शौचालय सत्यापन की प्रगति अपेक्षाकृत कम है उन जिलों को तय समय–सीमा में सत्यापन का कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए।

2. सत्यापन उपरांत जिन जिलों में शौचालय विहीन घरों एवं अनुपयोगी शौचालयों की संख्या अधिक पाई गई है वे जिले ग्राम पंचायत–वार डेटा की समीक्षा करेंगे एवं कारणों का पता कर आगामी रणनीति तैयार करेंगे।

5.3 राज्य कार्यक्रम अधिकारी सत्यापन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जिला स्तर से की जाने वाली कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय निर्देश जारी करेंगे।

5.4 खरगौन एवं रतलाम जिले द्वारा एलओबी शौचालयों की राशि तथा रतलाम एवं सिंगरौली जिले द्वारा अनुपयोगी शौचालयों की राशि प्राप्त न होने के संबंध में अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया गया। उक्त संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा राज्य कार्यक्रम अधिकारी को राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया से अवगत कराए जाने एवं आगामी व्हीसी से पूर्व नियम अनुसार भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए।

## 6. पंचायतराजः–

6.1 आगामी पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत पंचायतों के परीसीमन के मूलभूत मार्गदर्शी सिद्धांतों पर चर्चा की गई एवं शीघ्र प्रारंभ हो रहे परिसीमन के कार्य हेतु प्रारंभिक तैयारियों कराने के निर्देश दिये गये।

6.2 परफारमेंस ग्रांट के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदया द्वारा जानकारी दी गई कि 33 जिलों के एकाउण्ट ऑफीसर को प्रशिक्षण दिया गया है एवं उनके द्वारा जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत की कैश बुक आदि परीक्षण कर राज्य स्तर से प्रदत्त फार्मेट में जानकारी एकत्रित की जा रही है। इन जिलों की सूची संलग्न है। सीईओ, जिला पंचायत अपने जिलों की प्रगति की समीक्षा करें।

## 7. मुख्यमंत्री हैल्पलाइनः–

7.1 जिले आगर मालवा, बड़वानी, रीवा, विदिशा, नीमच, भोपाल एवं शाजापुर में माह मई 2019 में प्राप्त शिकायतों का संतुष्टीपूर्ण निराकरण अत्यंत कम है। अतः आगामी जून माह की ग्रेडिंग में सुधार हेतु अधिक से अधिक शिकायतों को संतुष्टी पूर्वक बंद कराया जाए। समसत जिले माह जून की कम से कम 60 प्रतिशत शिकायतों को संतुष्टी सहित बंद कराया जाना सुनिश्चित करें।

7.2 भिण्ड, पन्ना, शहडोल, सीधी, मुरैना, शहडोल, बैतूल, राजगढ़, बड़वानी, छतरपुर, सतना, रायसेन, अनुपपुर, कटनी, रीवा, मंदसौर, सिंगरौली एवं बालाघाट जिलों में 500 दिवस की शिकायतों का तत्काल निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

7.3 जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़, जीरापुर, बाड़ी, रायपुर, कर्चुलियान, छतरपुर, पेटलावद एवं व्यावरा द्वारा 1 जून 2019–20 जून 19 तक 500 दिवस से अधिक की निराकृत शिकायतों का औसत 3 प्रतिशत से भी कम है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उक्त जनपदों की विशेष समीक्षा कर शीघ्र निराकरण कराएं।

## ग्राम पंचायत पडुआ की पहचान

- जनपद पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर की प्रथम पॉच खुले में शौच मुक्त (ओपन डेफीकेशन फ्री – ओ.डी.एफ.) ग्राम पंचायतों में मे एक
- नशामुक्त ग्राम पंचायत
- अपराध मुक्त पंचायत
- ग्राम पंचायत पडुआ का ग्राम जमुनिया अवगत तीन बार से विवाद विहीन ग्राम घोषित एवं पुरूस्कृत

ग्राम पंचायत को यह पहचान मिली है श्री शिवप्रसाद पटेल, सरपंच, ग्राम पंचायत – पडुवा, जनपद पंचायत – जबलपुर, जिला – जबलपुर की मेहनत, लगन, व्यवहार की वजह से। श्री पटेल द्वारा अपने कार्यो से इस ग्राम पंचायत को जिला ही नहीं वरन् अपने राज्य में विशिष्ट पहचान दिलाई है। आईये जानते हैं इस ग्राम पंचायत में आये बदलाव की कहानी श्री शिवप्रसाद पटेल की अपनी जुबानी ....

## पारिवारिक पृष्ठ–भूमि

मैं शिवप्रसाद पटेल, वर्ष 2015 में अपनी ग्राम पंचायत पड़ुआ का सरपंच बना। मैंने बी.ए., बी.पी.एड.ए एम.पी.एड., एल.एल.बी. की शिक्षा प्राप्त की। श्री शिवप्रसाद पटेल का जन्म 20–06–1977 में गरीब परिवार में हुआ। पिताजी जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री में नौकरी करते थे। पिता जी अब सेवनिवृत्त हो गये हैं। उनकी पेंशन से परिवार से घर की चलता है। बड़े भाई की चाय–नाश्ते की दकान तेवर पेट्रोल पंप के पास है। छोटा भाई मजदूरी करते हैं। दो बहिनें थीं जिसमें एक का देहांत हो गया है और दूसरी बहिन की शादी हो गयी है वे अपने ससुराल में रह रहीं हैं।

## गांव को अपराध व भयमुक्त बनाने का संकल्प

एक दिन की बात है, मेरे पिताजी घर से फेक्ट्री जाने के लिए निकले, हमारे गांव के ही कुछ राजनैतिक दबदबा रखने वाले कुछ दबंगों ने उनका रास्ता रोक लिया। वे मेरी पिता जी साईकिल पर बैठ कर शहर तक जाने की जिद् कर रहे थे। मेरे पिता जी ने कहा कि सड़क खराब है और उनकी साईलिक की हालत ऐसी नहीं है वे उन्हें बैठा कर ले जा सकें। दबंगों ने मेरे पिता जी से झगड़ा किया। यह घटना पिताजी ने घर आकर परिवारजनों को बताई। सुन कर मुझे भी गुस्सा आया। दबंग लोग राजनीतिक परिवार से संबंधित थे इसलिए मैंने सोचा कि इन लोगों से सीधे झगड़ा कर लेने से समस्या का खात्मा नहीं होगा। इनके आतंक से तो हमारे गांव के बहुत से परिवार परेशान हैं। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि, मैं ऐसे दबंगो के आतंक को सामाजिक सहभागिता से खत्म करूंगा।

## संगठित होकर भयमुक्ति संभव

मैंने गांव के लोगों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। कानून की जानकारी भी लेता रहा। इसके बाद वर्ष 2010 में हमारे यहां पंचायतों के चुनाव हुए। सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गया। दबंगों ने अपने से प्रभावित एक व्यक्ति को सरपंच का चुनाव जितवा दिया। मैंने वार्ड पंच के लिए परचा भरा था और पूर्व सरपंच जो दबंग खेमे वाला था उसे हरा दिया। पंचायत में मुझे उपसरपंच का दायित्व सौंपा गया। मैंगे वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक उपसरपंच के दायित्व को निभाते हुये गांव के विकास और ग्रामीण लोगों को न्याय दिलाने में अपने साथियों के साथ कार्य किया।

## ग्राम पंचायत सरपंच

वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में सरपंच का पद अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित था। मैंने सरपंच के लिए परचा दाखिल किया। मेरा सामना बड़े घराने के व्यक्ति के साथ था। गांव के लोगों ने मुझे निर्वाचन में जिताया। हमने जनपद पंचायत में भी दबंगों के खेमे वाले प्रत्याशियों को हरा दिया था। अब तक दंबगों की

राजनीति ठन्डी पड़ गई थी और उनका वर्चस्व भी लगभग खत्म सा हो गया था।

वर्ष 2015 से अब तक हमने शासन गांव के विकास के लिए बहुत से कार्य किये। हमारे गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र की कमी, शमशान घाट न होना, गांव की आन्तरिक सड़कें टूटी–फूटी होना, जलनिकासी के लिए नालियां न होना, तालाब में अतिक्रमण, स्कूल प्रांगण में अतिक्रमण, गांव में गंदगी होने जैसी समस्याएं थी। इन समस्याओं को दूर कने के लिए शासन की योजनाओं से और ग्रामवासियों के सहयोग से कार्य करवाये जो नीचे दिये गये हैं :–

**शासन की योजनाओं से कराये गये कार्य**

- ग्राम पडुवा, सिलुआ एवं जमुनिया में सम्पूर्ण मार्ग में आंतरिक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य एवं शांतिधाम तक पहुॅच मार्ग तैयार करवाना
- ग्राम पडृवा में आंगनवाडी केन्द्र भवन तैयार करवाना और ग्राम सिलुवा एवं जमुनिया में अतिक्रमण हटवा कर आंगनवाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण
- ग्राम पडृवा एवं जमुनिया में रंगमंच निर्माण
- ग्राम पंचायत पडुवा में पंचायत भवन का मरम्मत कार्य एवं शौचालय निर्माण
- ग्राम पडृवा में शांतिधाम निर्माण, ग्राम सिलुवा में शमशान भूमि को कब्जामुक्त करके शांतिधाम निर्माण का कार्य
- ग्राम पडृवा में खेल–मैदान बनवाना
- गांव की जलनिकासी के लिए सीमेंट कांक्रीट की नाली का निर्माण
- प्रधानमंत्री आवास योजना में 41 आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में 17 आवास पूर्ण
- ग्राम सिलुवा में शाला परिसन में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण

**शासकीय योजना की राशि खर्च किए बिना ग्रामवासियों की सहभागिता से करवाये गये कार्य**

- तालाब को कब्जामुक्त कर गहरीकरण कार्य

- स्कूल परिसर को कब्जामुक्त कर खेल–मैदान का निर्माण
- प्राचीन शिवमंदिर, खैरमाई मंदिर का जीर्णोद्धार
- व्यायामशाला के लिए जिम सामग्री की व्यवस्था
- 28 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण
- प्रतिवर्ष लगभग 200 गांव के खिलाड़ियों को ट्रेकसूट, टी–शर्ट का वितरण

- शासकीय भूमि को कब्जामुक्त कर आबादी घोषित कर 37 पट्टों का वितरण

**स्वच्छता एवं पर्यावरण सरंक्षण, जल संरक्षण के कार्य**

- ग्राम पंचायत के पोर्टल में उपलब्ध 430 परिवारों में 112 परिवार के घरों पर शौचालय का निर्माण और ग्रामवासियों की सहभागिता एवं अंशदान से 318 परिवार के घरों में शौचालय बनाना।
- गांव को स्वच्छ बनाने के लिए ग्रामवासियों की सहमति से गंदगी करने वाले व्यक्यिों पर जुर्माना लगाने का नियम बना कर गंदगी पर नियंत्रण किया गया। जुर्माने से मिली राशि का उपयोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आस्थामूलक कार्यो के लिए किया गया।
- स्वच्छता विषय पर जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक तीन में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन और जिला स्तर पर वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
- पर्यावरण सरंक्षण हेतु शासन की वृक्षारोपण योजना का क्रियान्वयन कराया गया। कब्जामुक्त भूमि में उपयोगी वृक्ष लगाये गये।
- हम सभी ने मिलकर 200 वृक्ष लगाये जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए 4 यूनिट बनाई और प्रत्येक यूनिट के लिए रक्षक नियुक्त किये गये। किसानों द्वारा खेतों की मेढ़ बंधान के उपर वृक्ष लगाये गये हैं इसके लिए किसानों को जागरूक किया गया। हमारी पंचायत में बरसात के समय जल को एकत्रित करके रखने के लिए शोकपिट, खेत–तालाब, बाड़ी में गढ्ढा बनाने जैसी गतिविधियां की जाती हैं।
- गांव को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम कमेटी, रैली तथा प्रभातफेरी कमेटी, धार्मिक स्थलों के लिए आरती कमेटी बनाई। प्रत्येक कमेटी द्वारा अपने अपने विषय से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई। इससे हमारे गांवों में साफ–सफाई का संदेश घर–घर पहुॅचा। गांव का कचरा एक स्थान पर डालना, कचरे को गांव में चिन्हित किये गये स्थल का पहुॅचान तथा व्यक्गित और सामुदायिक स्थलों की

साफ–सफाई के लिए सामूहिक प्रयास किये गये।

- प्रतिवर्ष हमारी ग्राम पंचायत में ''स्वच्छ घर – स्वच्छ आंगन'' प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसमें सबसे स्वच्छ घरों को प्रोत्साहन स्वरूप उपयोगी सामग्री जैसे सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, वाटर फिल्टर का पुरस्कार दिया जाता है।

## सामाजिक उत्थान एवं विकास कार्य

- गांव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो सीधे हमारी ग्राम पंचायत के लोग कोर्ट–कचहरी नहीं जाते हैं। ऐसे विवादों का निपटारा हमारी ग्राम पंचायत में बैठकर आपसी सहमति से कर लेते हैं। हम लोगों ने अपनी ग्राम पंचायत में लगभग 168 मामलों को अपने स्तर पर ही सुलझा लिया है। ग्राम पंचायत पडुआ का ग्राम जमुनिया तो विगत तीन बार से विवाद विहीन ग्राम घोषित हो रहा है और इस गांव को पुरूस्कार भी मिला है। महिलाओं के सशक्तीकरण एवं सुरक्षा से संबंधित कानूनों, सूचना का अधिकार कानून की जानकारी हमारी ग्राम पंचायत में विशेष बैठक, कार्यक्रम आयोजित करके ग्रामीणजनों को दी जाती है।
- हम लोगों ने आस्था के केन्द्र धार्मिक स्थलों का चिन्हांकन किया। वहां के लिए रामायण मण्डल बनाये गये हैं।
- आरती समितियों द्वारा प्रत्येक दिन धार्मिक स्थलों पर आरती की जाती है। आरती में ग्रामीणजनों द्वारा दी गई दान राशि एकत्रित कर ली जाती है। प्रति तीन में आरती में डाले गये रूपयों – पैसों की गिनती कर लेते हैं। इससे प्राप्त राशि का उपयोग गरीब कन्याओं की पढ़ाई–लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह सहायता के लिए किया जाता है। हम लोगों ने इस राशि से पंडाल (टेंट) की सामग्री क्रय कर ली है। जहां भी जरूरत होती है इन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। हमने तो यह भी विचार किया है कि हमारी जनपद पंचायत क्षेत्र में जहां भी जरूरी हो इन सामग्रियों का उपयोग किया जाए।
- हमारे गांव में निःशुल्क कोचिंग सेन्टर चल रहे हैं। हमारे गांव के शिक्षित युवाओं द्वारा कोचिंग सेन्टर का संचालन किया जा रहा है। गांव में निरक्षर व्यक्यिों, बुजुर्गो को साक्षर बनाने का कार्य गांव के शिक्षित युवक–युवतियों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे उत्साही युवक–युवतियों को ग्राम पंचायत द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

## सशक्त महिला – निर्भय महिला अभियान

- हमारी ग्राम पंचायत में सशक्त महिला – निर्भय महिला अभियान चलाया गया है। जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं सहित ग्राम में ही रोजगार एवं ग्राम में शांति एवं भाईचारा, स्वच्छ बनाये रखने के अनेकों कार्य किये जा रहे हैं।
- गांव में प्रभार फेरी निकाली जाती है। प्रभात फेरी के समापन पर समस्याओं, निदान के तरीकों, योजनाओं पर विचार–विमर्श किया जाता है। हमारे गांव के लोगों ने आपस में अंशदान मिला कर प्रभात फेरी कमेटियों को ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, लाउडस्पीकर, दरी, छाता, शाल, साड़ियां इत्यादि प्रदान की हैं।
- स्वच्छता, महिलाओं के सशक्तीकरण के विषय पर ग्राम पंचायत में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- आजीविका मिशन अन्तर्गत हमारी ग्राम पंचायत में 12 स्व–सहायता समूह चल रहे हैं। इन समूहों की बैठकों में पंचायत के प्रतिनिधि जाकर उनकी समस्याओं को सुनते

हैं और समस्याओं के निराकरण में सहयोग देते हैं। समूह द्वारा बनाई गई सामग्री के विपणन के प्रयास किये जाते हैं। दोना–पत्तल बनाने वाले समूहों को कच्चा माल, मशीन, विपणन कार्य के लिए निजी व्यवसायियों एवं लधु उद्योगों द्वारा मदद की जाती है। समूह की महिला दीदियों को हमारी ग्राम पंचायत से बाहर अन्य स्थानों पर चल रहे अच्छे समूहों से मिलने के लिए भेजा जाता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय भूमियों एवं तालाबों को स्व–सहायता समूहों को आवंटित किया गया है जिससे समूह सदस्यों को अतिरिक्त आमदनी हो रही है।

- हमारे गांव के युवक–युवतियों को कम्प्यूटर पर दक्ष बनाने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद से प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

- महिलाओं एवं युवक, युवतियों को आजीविका से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पॉलीटेक्नीक कॉलेज में मोटर बाइंड़िगं, लाईट फिटिगं, सिलाई, कढ़ाई जैसे कामों का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्व–रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उज्जवला योजना के अन्तर्गत हमारी ग्राम पंचायत में 278 परिवारों को निःशुल्क घरेलू गैस उपलब्ध कराई गई हैं।
- नशामुक्ति के लिए ग्राम पंचायत में विभिन्न गतिविधियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाये जाते हैं।
- ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय के स्त्रोत बढ़ाने के प्रयाय किये जा रहे हैं। भवन अनुज्ञा शुल्क एवं अन्य व्यक्ति हित हेतु ग्राम पंचायत द्वारा ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' जारी किये जाते हैं। इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को बहुत ही कम फीस लेकर जारी किया जाता है।
- जनपद पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर की प्रथम पॉच खुले में शौच मुक्त (ओपन डेफीकेशन फ्री – ओ.डी.एफ.) ग्राम पंचायतों में मे एक है ग्राम पंचायत पडुवा। व्यक्तिगत शौचालय से गंदे पानी की निकासी एवं घरों के से कचरा साफ करने की सेवा ग्राम

पंचायत द्वारा सफाई कर लेकर दी जा रही है।

- हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में चल रहे व्यवसायों, निजी उद्योगों से सामाजिक कार्यो में मदद ली जाती है। समाज के सक्षम लोगों द्वारा हमारी ग्राम पंचायत को आर्थिक सहयोग दिया जाता है।

इस प्रकार से ग्राम पंचायत क्षेत्र में पूर्व में भय, अशांति, अत्याचार, शोषण, नशाखोरी, गंदगी, शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा जैसी समस्याओं को हमने अपने गांव के लोगों की सहभागिता से, शासकीय विभागों और अधिकारियों की मदद से दूर करने की कोशिश की। प्रत्येक पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाने का प्रयास किया। इन सभी कार्यो में हमें अपनी पंचायत के वार्ड पंचों, सामाजिक व्यक्यिों, ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम के संगठनों एवं व्यक्तियों का सहयोग मिला।

इन सभी प्रयासों का परिणाम ग्राम पंचायत क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। ग्रामीणजनों का जहां एक ओर आर्थिक विकास हो रहा है वहीं दूसरी ओर लोगों को सामाजिक न्याय भी मिल रहा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में कराये गये अच्छे कार्यो की गूंज जनपद, जिला और राज्य स्तर पर भी पहुॅची है। जिसका श्रेय ग्राम पंचायत के युवा और उत्साही सरपंच श्री शिवप्रसाद पटेल को जाता है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जिला जबलपुर के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जबलपुर द्वारा श्री पटेल को विभिन्न अवसरों पर सम्मानित किया गया तथा पुरूस्कार दिये गये हैं। माह– जुलाई 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के सहयोग से महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., अधारताल, जबलपुर में आयोजित मास्टर रिसोर्स परसन के सर्टीफिकेशन हेतु ओरिएन्टेशन एवं असेसमेंट प्रोग्राम में भी श्री पटेल ने सक्रिय सहभागिता की।

आज ग्राम पंचायत पडुवा की नही पूरे जिले में सफल, स्वच्छ, आर्थिक रूप से सुद्रढ़, नशामुक्त, अपराधमुक्त ग्राम पंचायत की मिशाल के रूप में श्री शिवप्रसाद पटेल को पहचाना जाता है। श्री पटेल के परिवारजन, ग्राम पंचायत में रहने वाले ग्रामीणजन अपनी ग्राम पंचायत की सफलता देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

**डॉ. संजय कुमार राजपूत**
**संकाय सदस्य**

# सफलता की कहानी
## ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में म.प्र.पंचायतराज संस्थानों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मूलभूत एवं क्षमतावर्धन प्रशिक्षण पूर्व टी.एन.ए. की 01 दिवसीय कार्यशाला दिनांक 01.07.2019 को संभाग स्तरीय कार्यशाला का शुभारम्भ संचालक, एमजीएसआईआरडी एण्ड पंचायतराज संस्थान जबलपुर द्वारा सरस्वती जी की प्रतीमा पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्ज्वलन किया गया। शुभारम्भ के पश्चात संस्थान की प्राचार्य, श्रीमती यशोधरा कनेश उपायुक्त(विकास) द्वारा अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत कर कार्यशाला का उद्‌बोधन दिया गया।

संचालक श्री संजय कुमार सराफ महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर के मुख्य आतिथ्य में तथा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल एवं समर्थन संस्था के प्रमुख डॉ. योगेश कुमार कार्यकारी निदेशक, श्री राजकुमार मिश्रा एवं श्री सौरव दत्त के निर्देशन में

पंचायत जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों की कार्यशाला हुई । कार्यशाला में उपस्थित सरपंच, उपसरपंच, पंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक कुल 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

तत्पश्चात कार्यशाला की विषय वस्तु पर संचालक एमजीएसआईआरडी एण्ड पंचायतराज संस्थान एवं डॉ. योगेश कुमार द्वारा प्रकाश डाला गया एवं अपेक्षा की गई कि आने वाले पंचायतराज चुनाव के नवनियुक्त प्रतिधिनियों को पंचायतराज व्यवस्था के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना ना करना पडे इस उद्देश्य से प्रश्नावली के माध्यम से 93 प्रश्नों का संकलन कर प्रति प्रतिभागियों द्वारा भरवाया गया

जिसमें स्थानीय सरकार का दृष्टिकोण, पंचायतराज के प्रमुख प्रावधान, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत की समितियां, करो का रोपण, वार्षिक कार्ययोजना, विभिन्न योजनाओं एवं मदों के बारे में जानकारी, सेवाओं की निगरानी एवं सुधार, कौशल, दक्षता एवं पारदर्शिता जैसे विषयों का समावेश था । प्रतिभागियों द्वारा अपने स्वविवेक से प्रश्नावली को भरकर दिया गया है ।

भोजन अवकाश के पश्चात पदो ंके अनुरूप समूह निर्मित किये गये जिसमें समूह क्रमांक 01 सरपंच, 02 उपसरपंच, 03 पंच, 04 ग्राम पंचायत सचिव एवं 05 ग्राम रोजगार सहायक समूह को समूहचर्चा के लिए विषयवस्तु प्रदाय की गई । जिसमें समूह को सहजकर्ता के रूप में संस्थान के संकाय सदस्यों को भी समूह अनुसार रखा गया । जिनकी प्रमुख भूमिका सुविधादाता के रूप में की गई। मध्यप्रदेश ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन करना था । प्रतिभागी द्वारा खुलकर समूह चर्चा में भाग लिया गया एवं अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किये गये ।

प्रस्तुत किये गये सुझावों एवं विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी पंचायराज चुनाव के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अच्छा मार्गदर्शन दिये जाने में सहयोग प्राप्त होगा एवं पंचायतराज व्यवस्था के सफल होने के पूर्व आकांक्षाए परिलक्षित होगी । सभी उपस्थित प्रतिभागियों के समूह चर्चा के उपरांत संस्थान की प्राचार्य/उपायुक्त(विकास) द्वारा धन्यवाद देते हुए कार्यशाला का समापन किया गया है।

**सज्जन सिंह चौहान,**

**संकाय सदस्य**

# जलवायु के प्रति जागृत होती ग्राम पंचायतें

जलवायु परिवर्तन मौसम के दीर्घकालिक बदलाव का परिणाम कहा जाता है। लम्बे समय के परिणाम के फलस्वरुप मौसम में आये बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात् जलवायु परिवर्तन मौसमी दशाओं के बदलाव को कहा जाता है यह जलवायु परिवर्तन मानव और प्राकृतिक दोनो कारण से हो सकते है जलवायु एक ऐसी घटना है जो लगातार बदल रही है! जलवायु के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं बारिश, नमी, तापमान, हवा, सूर्य का प्रकाश। स्थानीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं मिट्टी का प्रकार, फसल स्वरूप, दलदली ज़मीन, पानी के स्त्रोत, जंगल, पेड़ आदि। बारिश, हवा, सूरज की रोशनी आदि के कुछ निश्चित स्वरूप हैं और मानव समाज इसी बदलाव से अपनी कृषि क्रियाओं का मिलान करके विकसित हुआ है।

लेकिन स्वरूप में परिवर्तन हो सकते हैं और मात्रा व समय में बड़े स्तर के बदलाव हो सकते हैं। कुछ बदलाव इतने छोटे हो सकते हैं कि आम लोगों का इस ओर ध्यान भी न जाए पर कुछ बदलाव बहुत बड़े हो सकते हैं। बारिश के संबंध में जब भी ऐसा बदलाव होता है– अत्याधिक या बहुत ही कम बारिश होने पर, हवा इत्यादि तब कृषि और पीने के पानी की उपलब्धता पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होता है।

जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं जंगलों, दलदली ज़मीन और नदियों का विनाश, पेड़ों को काटना, जैविक ईंधनों का उपयोग, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग, प्लास्टिक आदि का उपयोग मुख्य कारक हैं।

**ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्य कर सकती हैं**

| | |
|---|---|
| आईईसी रणनीति का उपयोग करना | • लोगों को जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी गतिविधियों और उन्हें कम करने के बारे में जागरूक बनाना।<br>• जलवायु परिवर्तन के अनुसार अनुकूलित विधियां अपनाना।<br>• स्थानीय लोगों तक मौसम के बारे में जानकारी पहुंचाना।<br>• बादलों का फटना, बाढ़, सूखा, भूस्खलन और बहुत अधिक ठंड से होने वाले नुक़सानों के बारे में जागरूकता विकसित करना।<br>• सामान्य लोगों तक पिछले और वर्तमान सत्र की जलवायु शैली के बारे में जानकारी पहुंचाना और उस बारे में लोगों को शिक्षित करना। |
| योजना तैयार करना और<br>लागू करना | • जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए वैकल्पिक कृषि योजना।<br>• दलदली ज़मीन, जंगल, ढलान, तटीय क्षेत्र, बाढ़ वाले मैदानों, नदियों के किनारों और धाराओं को संरक्षित करने की योजनाएँ।<br>• जल संरक्षण के उचित उपायों की योजनाएँ तैयार करना।<br>• जलवायु से जुड़े संकटों के दौरान असुरक्षित जनसंख्या के लिए उचित बचाव योजनाएँ। |

**जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों के बारे में योजना बनाते समय हमारी ग्राम पंचायत किन बातों पर ध्यान केन्द्रित कर सकती है?**

- जलवायु की निगरानी, जलवायु परिवर्तन की समझ और प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए क्षमता विकसित करना।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैकल्पिक प्रथाओं, फ़सलों, बीजों आदि के साथ कृषि प्रणाली विकसित करना।
- पेयजल और सफ़ाई प्रणालियों को विकसित करना जो कि विपरीत मौसम और जलवायु घटनाओं में यथावत बनी रहे।
- जलवायु से जुड़े संकटों के दौरान असुरक्षित जनसंख्या की पहचान करना और विपरीत परिस्थितियों में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए आपदा राहत प्रणालियों की स्थापना करना ।

**ये हमारे लक्ष्य हो सकते है!**

- इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम उद्देश्य किस तरह निर्धारित करें ?
- क्या हमारी ग्राम पंचायत निम्न में से कुछ चीजों की योजना बना सकती है?
- स्थानीय जलवायु निगरानी प्रणाली की स्थापना करना जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों का समावेश हो।
- मौसम जानकारी की निगरानी करने और उन्हें स्थानीय जनसंख्या तक पहुंचाने के लिए प्रणाली स्थापित करना ।
- प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यक सामानों से सुसज्जित टास्क फ़ोर्स का गठन करना।
- दलदली ज़मीन, जंगल, ढलान, तटीय क्षेत्र, बाढ़ वाले मैदानों, नदियों के किनारों और धाराओं को संरक्षित करने की और वैकल्पिक कृषि की योजनाओं को तैयार करना और लागू करना।

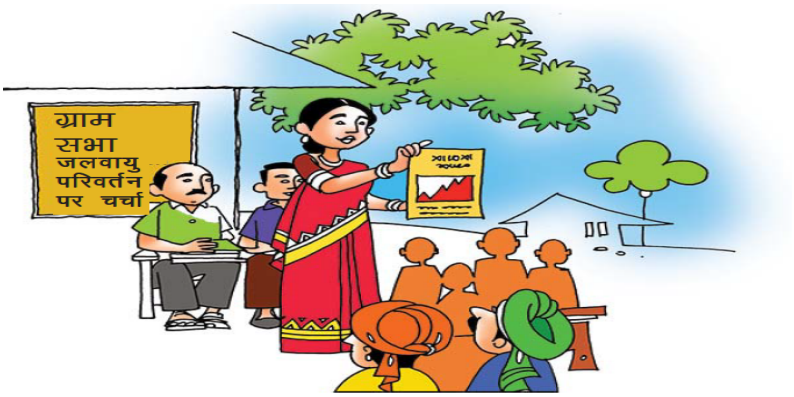


- सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा जैसी नई ऊर्जाओं का उपयोग बढ़ाने के साथ–साथ ईंधन की लकड़ी, वाहनों और इसी तरह के उत्सर्जन स्रोत का कम–से–कम उपयोग करना।

**ग्राम पंचायत क्या कर सकती है?**

पंचायत समिति और अन्य समुदाय के स्वयं सेवकों के बीच जलवायु परिवर्तन शब्द की गंभीरता और इसके प्रभावों को समझाने के लिए कदम उठाना। जलवायु परिवर्तन की समस्याओं पर ग्राम सभा/छात्रों/स्वयं सहायता समूह की बैठकों द्वारा लोगों को संवेदनशील बनाना। किसानों, इच्छुक छात्रों और शिक्षकों, स्वयं सहायता समूह सदस्यों की पहचान करना ताकि जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए एक कार्य समूह का गठन किया जा सके और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, राजस्व अधिकारियों, शैक्षिक संस्थानों और एनजीओ के सहयोग से इन कार्यसमूह के सदस्यों को प्रशिक्षित करना। बादल फटने, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, अत्यधिक ठंड जैसी चरम घटनाओं के बारे में ग्राम सभाओं में जागरूकता फैलाना, गर्भवती, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों आदि की पहचान करना और प्रतिकूल घटनाओं के दौरान उनके लिए उपयुक्त अनुकूलन रणनीतियां बनाना। इस प्रकार ग्राम पंचायते जलवायु संतुलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभा सकते है।

**पंकज राय**
**संकाय सदस्य**